न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 57/2025

GCMS No. : 2025/268

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		आनन्द पुत्र हरीनारायण अग्रवाल मैसर्स मान सरोवर एण्टरप्राईजेज सुरजपोल रोड बांगड अस्पताल के सामने पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सी.पी.सिघानियॉ उपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः 23.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस प्रार्थी अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ/खा.सु/एवं औ.नि./संस्था/2025/101 दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र प्रार्थी के कार्यक्षैत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 22.05.2025 दौराने गश्त अप्रार्थी के मैसर्स मान सरोवर एण्टरप्राईजेज सुरजपोल रोड बांगड अस्पताल के सामने पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम आनन्द पुत्र हरीनारायण अग्रवाल बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की फर्म में Orange crush loose प्लाटिक कैन में लगभग 04 किलोग्राम में रखा हुआ था। जिसका उपयोग अप्रार्थी आमजन को बेचने के लिए ज्युस बनाने में उपयोग

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

किया जाता है। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने Orange crush loose का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी एवं गवाहान को यह बता दिया कि यह नमुना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में प्रार्थी के साथ आये खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेशचंद शर्मा कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में Orange crush loose वास्ते जांच हेतु 02 किलोग्राम क्रय कर उसकी कीमत 340/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा Orange crush loose को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2577 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया Orange crush loose का नमुना संख्या आर–2577 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/905/एक्ट/2025/905 दिनांक 03.06.2025 के अनुसार Sub-Standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। अप्रार्थी द्वारा कोइ जवाब पेश नही करने पर प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में पेश किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) Orange crush loose का उपयोग आमजन को विक्रय करने के लिए ज्युस बनाने के लिए उपयोग लेने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब एवं वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से दिनांक 22.05.2025 को सेम्पल लेते समय खाद्य सुरक्षा मानको कि पालना नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को भेजी गयी रिपोर्ट पत्र क्रमांक 4709 दिनांक 13.06.2025 में यह कही भी अंकन नहीं है कि फर्म से लिया गया सेम्पल अवमानक की श्रेणी में आता है, साथ ही फर्म

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

से दिनांक 22.05.2025 को स्ट्रॉबेरी क्रश लुज का सेम्पल लिया ही नहीं गया था, ऐसे में प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं है। फर्म से लिए गये सेम्पल के संबंध में अप्रार्थी को अपने अवमानक सेम्पल की पुनः जांच कराने का अधिकार है। अप्रार्थी अपनी फर्म से लिए गये सम्पल ऑरेन्स क्रश लुज की जांच अन्य लेब से जाचं करवा चाहता था या अपील कर सकता था, उक्त अधिकार से अप्रार्थी को वंचित रखा गया। प्रकरण पेश करने से पुर्व प्रार्थी को मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी से विधिवत अभियोजन स्वीकृति लेनी चाहिए थी जो नहीं ली गई। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से सेम्पल दिनांक 22.05.2026 को लिया गया था एंव रिपोर्ट दिनांक 03.06.2025 की है जो कि लगभग 13 दिन बाद आयी है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कही उल्लेख नहीं किया कि उसने उक्त सेम्पल को खाद्य सुरक्षा मानको के अनुसार प्रिजर्व नहीं किया ऐसे में उक्त खाद्य पदार्थ कि वास्तविक स्थिति में परिवर्तन होने कि पूर्ण सम्भावना रहती है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी कि फर्म से सेम्पल लेने मे जो प्रक्रिया अपनायी गयी उसका कही उल्लेख नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कि फर्म से ऑरेज क्रश लुज का सेम्पल लिया गया था जो कि आमजन को बिक्री करने के लिए नहीं रखा जाकर ज्युस बनाने में उपयोग लिया जाता है ऐसे में उक्त पदार्थ का सेम्पल लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दलिलो के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी से अप्रार्थी कि फर्म से ऑरेज क्रश लुज का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा मानको कि पालना नहीं की है एवं अप्रार्थी को अपील के अधिकार से वंचित रखा है ऐसे प्रकरण विधिनुसार नहीं होने से खारिज योग्य है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा मैसर्स मान सरोवर एण्टरप्राईजेज सुरजपोल रोड बांगड अस्पताल के सामने पाली से लिया गया Orange crush loose का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2577 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Orange crush loose का नमुना कोड संख्या आर–2577 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी फर्म से लिया गया Orange crush loose का नमुना अवमानक (Sub-Standard) पाया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी से खाद्य सुरक्षा मानको के आधार पर एवं उनकी पालना करते हुए की है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को जांच लेब रिपोर्ट के पत्रांक 4709 दिनांक 13.06.2025 में सहवन से ऑरेज क्रश लुज के स्थान पर स्ट्राबेरी क्रश लुज का अंकन हो गया था जो लिपिकिय त्रुटि है जो प्रकरण खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। प्रकरण में सेम्पल लेने से लगाकर प्रकरण सेम्पल प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने, रिपोर्ट की प्रति अप्रार्थी को भेजने एवं प्रकरण न्यायालय में पेश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

करने के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानको के दायर में यह कर ही है जो विधिनुसार एवं न्यायोचित है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक Orange crush loose का उपयोग आमजन को विक्रय करने के लिए ज्युस बनाने में उपयोग करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) Orange crush loose का उपयोग आमजन को विक्रय करने के लिए ज्युस बनाने में उपयोग करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 15 दिवस में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली